

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

**सं 2/2017- एकीकृत कर**

**सा.का.नि.604(अ).—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 14 के उप-नियम (2) के साथ पठित समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर बेंगलुरु पश्चिम और उसके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को आनलाइन सूचना की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने और डाटाबेस पहुंच या प्रदत्त पुनर्प्राप्ति सेवाएं या गैर कर योग्य राज्यक्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा दिए जाने के लिए सहमत व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन प्रदान करने और गैर कर योग्य आनलाइन प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त करने के लिए सशक्त करने के लिए अधिसूचित करती है।

**स्पष्टीकरण –** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) “आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवा” का वही समान अर्थ समनुदेशित है जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 17 में इसका है ;
  - (ख) “गैर कर योग्य आनलाइन प्राप्तकर्ता” का वहीं समान अर्थ समनुदेशित है जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 16 में इसका है ;
2. यह अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2017

**No. 2/2017 – Integrated Tax**

**G.S.R. 604(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), read with sub-rule (2) of rule 14 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government hereby notifies the Principal Commissioner of Central Tax, Bengaluru West and all the officers subordinate to him as the officers empowered to grant registration in case of online information and database access or retrieval services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory and received by a non-taxable online recipient.

**Explanation.-** For the purposes of this notification,-

- (a) “online information and database access or retrieval services” has the same meaning as assigned to it in sub-section (17) of section 2 of the said Act;
  - (b) “non-taxable online recipient” has the same meaning as assigned to it in sub-section (16) of section 2 of the said Act.
2. This notification shall come into force on the 22<sup>nd</sup> day of June, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

DR. SREEPARVATHY.S.L., Under Secy.